न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 23/2018 **दायर तारीख :–** 21.05.2018

1. मिश्री देवी पत्नी जोरा जाति गुर्जर निवासी नीमली तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत सीमांक पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 14.03.2019

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 482/555/0.58, 486/2/0.57 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/22 दिनांक 03.05.2018 की पालना में सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीया अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 482/555/0.58, 486/2/0.57 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज [illegible] उपस्थित।
3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2070-2073 नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 06.05.2018 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 482/555/0.58, 486/2/0.57 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested

जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीया की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीया ने दिनांक 06.05.2018 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम नीमली के खसरा नम्बर 482/555/0.58, 486/2/0.57 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:05 IST
Reason: SelfAttested